न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
112/2022/प्रा.पत्र/2022	07.12.2022	01.09.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री राधामोहन गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स चुन्नु मुन्नु किराणा स्टोर, सदर बाजार अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक निवासी छीपों का मोहल्ला अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक

2–श्री मदन बिहारी अग्रवाल पुत्र श्री राम गोपाल अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द बूरा भण्डार, 49 नाटानियों की मोरी, चांदपोल बाजार, मिश्रा राज की रास्ता जयपुर राज.

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा।
3–अप्रार्थी सं. 2 के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र तिवाडी उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 01.09.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.08.2022 को समय 12:39 पीएम पर मैसर्स चुन्नु मुन्नु किराणा स्टोर, सदर बाजार अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री राधामोहन गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राधामोहन गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **बुरा गोकुल गोल्ड ब्राण्ड (Bura Gokul Gold Brand)** के प्लास्टिक के कट्टे में 1–1 किलोग्राम के 25 पॉली पैक रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राधामोहन गुप्ता को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री राधामोहन गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **बुरा गोकुल गोल्ड ब्राण्ड (Bura Gokul Gold Brand)** जिसके बैच नम्बर 15 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1–1 किलोग्राम के 4 पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बुरा गोकुल गोल्ड ब्राण्ड (Bura Gokul Gold Brand)** के 1–1 किलोग्राम के 4 नग पॉली पैक के एक–एक पैक वाले चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3265, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3265 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राधामोहन गुप्ता पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गोविन्द बूरा भण्डार, 49 नाटानियों की मोरी, चांदपोल बाजार, मिश्रा राज की रास्ता जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3311 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./2706/एक्ट/2022/2739 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **बुरा गोकुल गोल्ड ब्राण्ड (Bura Gokul Gold Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री राधामोहन गुप्ता मय अभिभाषक श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 2 (निर्माता फर्म) की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र तिवाडी उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मात्र इसके लेबल पर Expiry date अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **बुरा गोकुल गोल्ड ब्राण्ड (Bura Gokul Gold Brand)** विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी, निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **बुरा गोकुल गोल्ड ब्राण्ड (Bura Gokul Gold Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.09.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक